



नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

फैक्स-01509-238027

सं० के.रा.फा./सर०/कृषि/28/2026-27/-

दिनांक 13.05.2026

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला-श्रीगंगानगर(राज.) में वर्ष 2026-27 व 2027-28 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है ई-निविदाएं दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 2:30 बजे फार्म मुख्यालय सरदारगढ़ में खुलेगी। विस्तृत जानकारी के लिये निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर तथा ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर देखी जा सकती है, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

Particulars	Details
Date of issue of NIT	13-05-2026
Tender Document Download Start Date/Time	13-05-2026 2.00 PM
Tender Document Download End Date/Time	26-05-2026 2.00 PM
Date and time for submission of online bid	From 13-05-2026 2.00 PM 26-05-2026 2.00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Sardargarh	26-05-2026 on 2:15 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs.1180.00 (Rs.1000+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. As per mention below against lot/Chak
Address for communication.	Head of Farm, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Sardargarh (Raj.) PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sushant priyadarshi mob:- 8078678415
Regarding deposit of EMD	If a bidder wants to participate in the tender for a lot/chak, he should deposit EMD mention against lot/chak in farm account (National Seeds corporation limited, SBI A/c 34032829868 IFSC SBIN0007774). And bidder who wants to participate in the tender for all the lot/chak deposit EMD through the portal.

खण्ड संख्या	चक संख्या व लॉट	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट मे)	धरोहर राशि(रुपये मे)
4	39 पीबीएन	296.26	296260.0
4	43 पीबीएन-1	120.01	120010.0
4	44 पीबीएन-1	111.84	111840.0
4	46 पीबीएन-1	139.03	139030.0
	कुल खंड-4	667.14	
5	47 पीबीएन-1	106.8	106800.0
5	48 पीबीएन-1	112.0	112000.0
5	50 पीबीएन-1	84.00	84200.0
5	51 पीबीएन-1	82.00	82000.0
5	52 पीबीएन-2	160.0	160000.0
5	52 पीबीएन-3	50.0	50000.0
5	52 पीबीएन-4	71.60	71600.0
	कुल खंड-5	666.40	
	कुल क्षेत्र (खंड 4 व 5)	1333.54	

खरीफ 2026 व 2027 व रबी-2026-27 व 2027-28 में हिस्सा आधारित पद्धति पर बीजोत्पादन हेतु लगभग 1333.54 हेक्टेयर में निविदा की नियम एवं शर्तों पर उपरोक्त वर्णित चकों में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी (उत्पादन)
कृते निदेशक

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. **INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE**

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - envidahelpdesk@gmail.com, envida2021@gmail.com

तकनीकी विवरण प्रारूप (हिस्सा आधारित बीज उत्पादन आऊटसोर्सिंग)वर्ष 2026-27 व

2027-28

क्रम सं०	विवरण	निविदादाता द्वारा दिया गया आवश्यक विवरण
1	निविदादाता का नाम व पता पिन कोड सहित	—विवरण भरे—
2	चक/लाट संख्या का नाम जिनके लिये वित्तिय निविदा मे दरे दी गयी है।	—विवरण भरे—
3	कुल जमा धरोहर राशि (रूपये मे)	—विवरण भरे—
4	मोबाइल संख्या	—विवरण भरे—
5	ई-मेल	—विवरण भरे—
6	जमा धरोहर राशि का विवरण ;D.D./ NEFT/RTGS/online transaction no. etc.)	—विवरण भरे—
7	निविदादाता का खाता न० एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी अपलोड करे	— अपलोड करे—
8	आधार कार्ड न० अपलोड करे	— अपलोड करे—
9	पेन का कार्ड न० अपलोड करे	— अपलोड करे—
10	उपलब्ध कृषि मशीनरी का विवरण अलग से संलग्न करें।	— अपलोड करे—
11	नियम व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे	— अपलोड करे—
12	चकवार फसलवार प्रति हैक्ट. निर्धारित लक्ष्य की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे	— अपलोड करे—
13	एनेक्स-ए (Annexure A)रूपये 100/- नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर नान-ब्लेक लिंसिटिंग शपथ पत्र अपलोड करे।	— अपलोड करे—
14	एनेक्स-बी (Annexure-B)रूपये 100/- नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर नान तकनीकी निविदा मे अपलोड करें।	— अपलोड करे—

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A

FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON Rs. 100/- Stamp paper
WITH REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION
UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,
The Head of Farm,
NSC, CSF SARDARGARH.

1- We hereby confirm and declare that we,
M/S....., have not been blacklisted / De-
registered by any Government department / Public Sector Undertaking
/ Private Sector / or any other agency for which we have Executed
/ Undertaken the work / Services during the last 5 years.

2- We hereby confirm and declare that we,
M/S....., have not been debarred in any
unit of NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED in last 3 years.

For.....
Authorised Signatory
Date:

Annexure-B

रुपये 100/- नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर नामिनी नामित पत्र

शपथ पत्र

मनके निविदादाता का नाम, पिता का नाम व पुर्ण पता का हूँ जो कि निम्न शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह है कि मिकर द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ द्वारा वर्ष 2026-27 व 2027-28 मे हिस्सा आधारित पद्धति पर खेती हेतु आमंत्रित निविदा/ठेके मे भाग लिया गया है।
2. यह है कि उक्त निविदा/ठेके अवधि के दौरान/हेतु में मेरा नॉमिनी नॉमिनी का नाम, पिता का नाम व पता जिनका आधार कार्ड संख्या , पेन कार्ड संख्या..... बैंक खाता संख्या को बनाया है।
3. यह कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 ता 2 मे अंकित तमाम तथ्य सही सही ब्यान किये है कोई तथ्य गलत नही है ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक :-

मिकर

हस्ताक्षर नॉमिनी

हस्ताक्षर निविदादाता

वर्ष 2026-27 व 2027-28 में फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा कुण्टल प्रति हेक्टेयर में

क्रम संख्या	चक संख्या/फसल	खरीफ-2026, 2027				रबी 2026-27,2027-28				
		मूंग	ग्वार	धान	मोठ	चना	सरसों	गेहूं	जई	जौ
	खंड-04									
1	39 पीबीएन	3.0	2.50	42.0	3.0	10.0	8.0	27.0	14.0	20.0
2	43 पीबीएन-1					5.0	10.0		13.0	25.0
3	44 पीबीएन-1						7.0	24.0	10.0	20.0
4	46 पीबीएन-1					5.0	10.40			
	खंड-05									
1	47 पीबीएन-1					5.0	7.0	21.0		
2	48 पीबीएन-1					5.0	7.0		11.0	
3	50 पीबीएन-1					10.0	10.0	26.0	7.0	25.0
4	51 पीबीएन-1	2.50	2.50	29.0	3.0		8.0	25.0	9.0	19.0
5	52 पीबीएन-2					6.0	9.0			25.0
6	52 पीबीएन-3					5.0	12.0		7.0	21.0
7	52 पीबीएन-4					4.0	9.0	28.0		
	कुल खंड-5									
	कुल क्षेत्र (खंड 4व5)									

नोट संख्या 1- चकवार आवंटित क्षेत्रफल में फसलवार खरीफ ,रबी 2026-27 व 2027-28 में प्रस्तावित फसलों का आवंटन अलग से सफल निविदादाता को किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

—वित्तिय निविदा पत्र—

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन पद्धति के आधार पर वर्ष 2026-27 व 2026-27 में खरीफ-2026 व 2027, रबी 2026-27 व 2027-28 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ जिला श्री गंगानगर की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए ली जाने वाली दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	चक सं० व लाट	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन हेतु कुल क्षेत्रफल हे० में	चकवार/लाटवार धरोहर राशि (रूपये मे)	निविदादाता द्वारा वर्ष 2026-27 व 2027-28(खरीफ व रबी)में ली जाने वाली फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में (कुल 100 प्रतिशत में से)		
				फार्म को दी जाने वाली दर %	निविदादाता द्वारा ली जाने वाली दर %	कुल प्रतिशत
	खंड04-					
1	39 पीबीएन	296.26	296260.0			100%
2	43 पीबीएन-1	120.01	120010.0			100%
3	44 पीबीएन-1	111.84	111840.0			100%
4	46 पीबीएन-1	139.03	139030.0			100%
	कुल खंड-4	667.14				
	खंड05-					
5	47 पीबीएन-1	106.8	106800.0			100%
6	48 पीबीएन-1	112.0	112000.0			100%
7	50 पीबीएन-1	84.20	84200.0			100%
8	51 पीबीएन-1	82.00	82000.0			100%
9	52 पीबीएन-2	160.0	160000.0			100%
10	52 पीबीएन-3	50.0	50000.0			100%
11	52 पीबीएन-4	71.60	71600.0			100%
	कुल खंड-5	666.40				
	कुल क्षेत्र (खंड 4 व 5)	1333.74				

निविदादाता को वित्तिय निविदा मे केवल फार्म को दी जाने वाली दर दर्ज करनी है कुल 100 प्रतिशत मे से शेष हिस्सा निविदादाता को माना जायेगा। वित्तिय निविदा मे फार्म को देय अधिकतम हिस्से के आधार पर ही वित्तिय निविदा का निर्धारण किया जायेगा।

❖ केवल उसी चक/लाट हेतू दरें देवे जिनकी ई.एम.डी राशि तकनिकी निविदा मे जमा करवायी गयी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
 निविदादाता का नाम व पता.....
 मोबाइल नं०-.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म-सरदारगढ राजस्थान (वर्ष 2026-27 व 2027-28)

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में

हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रुपये-1000/प्रति हेक्टेयर मात्र, डीडी/NEFT/RTGS/BG(बैंकगारंटी) द्वारा जमा करना होगी (जो एक अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ के नाम पर देय हो, जमा करना होगा। असफल निविदादाता की EMD वापस की जायेगी व सफल निविदादाता को फार्म से कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर सुरक्षा धनराशि 2000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से या बैंक गारंटी के माध्यम से फार्म में जमा करनी होगी । बैंक गारंटी कार्य आदेश जारी होने से कम से कम ढाई वर्ष आगे तक मान्य होनी चाहिए। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़वाया जा सकता है। सफल निविदादाता की बयाना राशि (ईएमडी), सुरक्षा निधि जमा करने पर वापस कर दी जाएगी. या उसके लिखित अनुरोध के बाद सुरक्षा जमा राशि में समायोजित की जा सकती है यदि सफल निविदादाता 15 दिनों के अंदर शेष सुरक्षा राशि जमा नहीं करते हैं तो जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर सुरक्षा राशि, बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी पता और बैंक खाते का विवरण देना होगा।
2. अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होंगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।
3. निविदादाता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चतम दर (फार्म का हिस्सा) देने वाले सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे और ऐसे उर्वरक व कृषि रसायन जिनसे

जमीन कीक्षारियता व लवणीयता के कारण उत्पादकता प्रभावित हो उनका प्रयोग करने से पूर्व फार्म से स्वीकृति लेनी होगी। उर्वरक में नैनो यूरिया का फसल में छिड़काव के रूप में उपयोग कर सकता है। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (NSC ग्रावर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा बीज खरीद के समय पर ही 50 प्रतिशत किया जाएगा तथा बकाया 50 प्रतिशत बीज राशि की कटौती 70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी। किसान को दिये जाने वाले बीज (planting material) की दर grower programme में दी गई पॉलिसी के अनुरूप की जाएगी। जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की दरों को आधार माना जाएगा, यदि क्षेत्रीय कार्यालय पर उस प्रजाति या फसल का उत्पादन नहीं है तब फार्म समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिड़काव, करनाल बंट नामक बीमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिड़काव कराएगा तथा इसको करवाने पर दवा, साधन व अन्य किसी भी मद में फार्म खर्च राशि की कटौती निविदादाता के 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी। कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुवाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुड़ाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। फार्म के हिस्से का निर्धारण टेंडर के माध्यम से दो वर्ष (2026-27 व 2027-28) के लिये खरीफ 2026, 2027 रबी 2026-27, 2027-28 व जायद 2027, 2028 के लिये निर्धारित फसलों के उत्पादन में से किसान के न्यूनतम हिस्से के आधार पर किया जायेगा जो (2+1) वर्ष के लिये मान्य रहेगा। निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्त होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) व हिसार फार्म के लिए हिसार मण्डी के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, सरसों व चना 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 16 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जीस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा। जई या अन्य किसी फसल का

समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निश्चित नहीं होता है और स्थानीय मंडी में भी आवक नहीं होने पर, संस्था की खरीद नीति के अनुसार फार्म प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा स्थानीय मंडी, मार्केट, किसानों, ट्रेडर्स, प्रोसेसर जो बीज से संबंधित लेने-देने करते हैं से संपर्क कर खरीद दर निर्धारित की जायेगी ।

- क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोड़ा जाएगा।
- ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।
- ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंदराबाद के प्रोक्यूरमेंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमेंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।
- घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में, निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।
- ङ. खलिहान पररा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिट्टी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्च पर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमशः फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।
- च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।
- छ. फार्म द्वारा raw seed का intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि raw seed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि seed recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व processing losses भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery percentage:-

क्रम सं०	फसल का नाम	न्यूनतम seed recovery %
खरीफ फसल		
	बाजरा, धान	80%
	मूंग,मोठ,उर्द,गवार,अरहर	78%
	मूंगफली, तिल	75%
रबी फसल		
	गेहूँ, जौ	80%
	चना,सरसों,तोरिया,अलसी	78%
	जई	75%

शेष अन्य फसलें

78%

seed recoveryनिश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

Actual seed recovery X Rate/P.Q

Crop wise seed recovery percentagefixed

- कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
- यदि किसी कारणवश फार्म सफल निविदाता को आधारीय / प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नहीं कर पता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जाएगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जाएगा और निविदादाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जाएगा ।
- निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा ।
- निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निर्णय होगा कि ट्यूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड़ कर ले जायेगा। ट्यूबवैल

व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होंगे। बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुनः निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। **यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।**
11. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।
12. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर राँ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पड़ा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।
13. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर राँ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
14. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पत्ति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।
15. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवं अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
16. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एवं सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
17. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।

18. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
19. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।
20. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूड़ी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वयं करेगा।
21. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
22. प्रत्येक फसल के प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गतपाँच वर्षों में से अधिकतम तीन वर्षों की फसलवार प्रति हेक्टर उपज के आधार परभारित लक्ष्य (**weighted Yield Target**) से निर्धारित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित चक/एरिया पर किसी फसल की पिछले 5 वर्षों में किन्हीं कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन 5 वर्षों में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा।
23. यदि सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन, निविदा में दिए गए न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य से कम आता हैतो निविदादाता एनएससी के उत्पादन लक्ष्य में कमी की भरपाई करेगा।यदि विशेष प्राकृतिक आपदा / परिस्थितियाँ जिसका पूर्वानुमान नियंत्रण / निदान संभव नहीं है जैसे (युद्ध, बाढ़, भूकंप, तूफान, ओला, पाला, तालाबन्धी, नागरिक दंगे, हड़ताल, हंगामा, सूखा पड़ना, महामारी इत्यादि) की वजह से किसी प्रकार का फसलों में नुकसान होता है उसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा फार्म प्रसाशन को 10 दिन के अंदर देनी होगी । फार्म के द्वारा इस प्रकार के नुकसान के आंकलन हेतु गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाएगी, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगी । प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रति हेक्टर कम उत्पादन प्राप्त होने पर लक्ष्य का पुनः निर्धारण (Revised Target) हेतु निम्न फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा। जिसमें प्रभावित सभी आउटसोर्स चकों की प्राप्त हुई भारित वास्तविक उपज का दिये गए भारित उत्पादन लक्ष्य प्रति हेक्टरके आधार पर करना है :-

Cropwise weighted Actual Avg. Yield of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block or weighted Avg. Yield cultivated by farm of Concerned Block
(whichever is higher)
 Cropwise Target of weighted Avg. Yld. Of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block

XCropwise targeted Avg. Yld. of Chak

जिस चक पर प्राकृतिक आपदा के पश्चात भी प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य के बराबर या अधिक प्राप्त होता है, ऐसे चक को इस फार्मूला में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यदि किसी एक ही चक पर अन्य चकों की अपेक्षा ज्यादा बार

प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो इस प्रकार नुकसान का आकलन फार्म की गठित समिति द्वारा करने के पश्चात प्रति हेक्टर उत्पादन लक्ष्य पुनः निर्धारण (Revised Target) किया जाएगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।

24. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
25. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी।
26. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
27. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
28. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
29. हिस्सा आधारित खेती में आउटसोर्सिंग का कार्य (दो) वर्ष 2026-27, 2027-28 (खरीफ-2026, 2027 रबी 2026-27, 2027-28 व ग्रीष्म 2026, 2027) के लिए होगा. प्रथम वर्ष में प्राप्त उत्पादन लक्ष्य की पुन समीक्षा, फार्म द्वारा की जायेगी। यदि कृषि कार्यों के समय किसान की ओर से लापरवाही देखी जाती है तो फार्म, समय-समय पर किसानों के पंजीकृत पते पर या ईमेल द्वारा विधिवत पावती के साथ लिखित नोटिस भेजेगा। यदि कोई प्राकृतिक या भौतिक बाधा न होने के बावजूद उत्पादन संतोषजनक नहीं है तो एनएससी के विवेक पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
यदि हिस्सा आधारित किसान का फसल उत्पादन दो वर्षों में संतोषजनक रहता है, उस स्थिति में फार्म समिति की अनुशंसा के आधार पर फार्म प्रमुख, सीएमडी की स्वीकृति के उपरांत हिस्सा आधारित कार्य को अगले एक वर्ष के लिए (समान नियम और शर्तों पर) आपसी सहमति से बढ़ा सकता है।
30. यदि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाकर्ता के जोखिम एवं लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।
31. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- ₹ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।

- 32 नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतियां काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा
- 33 नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का सम्पूर्ण अधिकार फार्म का होगा ।
- 34 समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों / आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।
- 35 इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता पार्टी का होगा।
- 36 निविदा में दिये सीजनवार क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार फसलवार बुआई क्षेत्रफल को आवंटित करने का अधिकार फार्म का होगा, जिसके अनुरूप निविदाता को बुआई करनी होगी । दिये गए लक्ष्य के सापेक्ष में फसल/क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक ज्यादा व कम का बदलाव फार्म प्रमुख की सहमति से किया जा सकता है।
- 37 सफल निविदादाता द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी और निविदादाता /किसान/उत्पादक लिखित रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिक किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति में शामिल नहीं होंगे। कृषि संपत्तियों या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का सहारा नहीं लेंगे और एनएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
यदि किसान या उसके द्वारा नियोजित कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो फार्म प्रमुख को "सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जेदार की बेदखली) अधिनियम, 1971" के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर, अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के फार्म के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- 38 यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । विवाद के न्यायालय में जाने से पहले, दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

